56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 ~~अपील~~ निगरानी —एक / 16 नि० 189 —I—16

श्रीमती रजनी ... द्वारा आज दि. 18-01-16 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 18-1-16

18-01-16

रामकिशन पुत्र श्री मिट्ठूलाल अहिरवार
आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम कुरावर तहसील
गंजबासौदा जिला विदिशा, म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्व

1— सरपंच ग्राम पंचायत भुंआरा तहसील
बासौदा जिला विदिशा, म0प्र0

2— नर्मदा प्रसाद पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम मूडरी तहसील त्यौंदा हाल निवासी
ग्राम भिरगावली तहसील बासौदा जिला विदिशा

3— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा

———अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा ~~44(2)~~ 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्व आदेश दिनांक ~~15.12.2015~~ 29/6/15 पारित द्वारा न्यायालय ~~कलेक्टर~~ जिला विदिशा का प्र0क0 ~~40/अपील/2014—15~~ से परिवेदित होकर प्रस्तुत है ।

माननीय न्यायालय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

आवेदक की ओर से यह अपील अन्दर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

(3)

(56)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-189-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	